

मई 2024

PRS के प्रमुख हाइलाइट्स:

- **वित्त**
 - फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिये फ्रेमवर्क
 - स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिये मास्टर परपित्र जारी
 - RBI ने परियोजना वित्त हेतु पूरूडेंशियल फ्रेमवर्क पर टपिपणयिँ आमंत्रति की
- **वाणजिय**
 - मसौदा वसिफोटक वधियक, 2024
- **जल संसाधन**
 - बाँध सुरक्षा और नगिरानी पर वनियिम जारी

वित्त

फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों के लिये फ्रेमवर्क

भारतीय रज़िरव बैंक (RBI) ने फनिटेक क्षेत्र में स्व-नियामक संगठनों (SRO) के लिये एक फ्रेमवर्क अधसिूचति कयिा ।

फ्रेमवर्क की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- **पात्रता और सदस्यता के मानदंड:**
 - SRO के लिये आवेदक की न्यूनतम नेटवर्थ दो करोड़ रुपए होनी चाहयि ।
 - इसे RBI द्वारा मान्यता मलिन के एक साल के भीतर या SRO के रूप में परचालन शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, हासलि कयिा जाना चाहयि ।
 - SRO की शेयरधारति वविधि होनी चाहयि, जसिमें कसिी भी इकाई (या मलिकर काम करने वाली संस्थाएँ) के पास 10% से अधकि शेयर न हों ।
 - SRO के सदस्यों में सभी आकारों, चरणों और गतवधियिँ वाली संस्थाएँ शामिल होनी चाहयि तथा उसे क्षेत्र का प्रतनिधित्व करना चाहयि ।
 - सदस्यता स्वैच्छकि होगी लेकनि RBI फनिटेक को कसिी मान्यता प्राप्त SRO का सदस्य बनने के लिये प्रोत्साहति करेगा ।
- **SRO की वशिषताएँ:**
 - **वस्तुनषिठ कार्यप्रणाली:** SRO, RBI की नगिरानी में वस्तुनषिठ रूप से कार्य करते हैं ।
 - **सतत वकिस:** SRO का लक्ष्य क्षेत्र का वकिस करना है और यदा आवश्यक हो तो चरणबद्ध वनियिमक अनुपालन पथ की पहचान कर सकते हैं ।
 - **व्यापक प्रतनिधित्व:** SRO व्यापक सदस्यता समझौतों के माध्यम से क्षेत्र का प्रतनिधित्व करते हैं ।
 - **स्वतंत्रता:** वे कसिी भी एक सदस्य या समूह के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं ।
 - **वविाद समाधान:** SRO सदस्यों के बीच वविादों में वैध मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं ।
 - **वनियिमक अनुपालन:** सदस्यों को वनियिमक प्राथमकिताओं का अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहति करना उनकी भूमकि का हसिसा है ।
- **कार्य:**
 - **नयिम-नरिमाण:** SRO वस्तुनषिठ और परामर्शात्मक प्रकरयिओं के माध्यम से नयिम तथा मानक स्थापति करते हैं ।
 - **उद्योग मानक:** वे उद्योग मानक और आधारभूत प्रौद्योगकिी मानक नरिधारति करते हैं ।
 - **नगिरानी:** SRO क्षेत्र की नगिरानी करते हैं, अपवादों का पता लगाते हैं और मुद्दों को उजागर करते हैं ।
 - **आचरण मानक:** वे आचरण के मानकों को परभाषति करते हैं और उल्लंघन के लिये दंड लगाते हैं ।
 - **सदस्यता नयितरण:** SRO कसिी इकाई को सदस्य के रूप में प्रतबिंधति या हटा सकते हैं ।
 - **शकियत समाधान:** सदस्यों के लिये वविाद समाधान ढाँचा स्थापति करना आवश्यक है ।

स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिये मास्टर परपत्र जारी

- भारतीय बीमा एवं वनियामक विकास प्राधिकरण (Insurance and Regulatory Development Authority of India- IRDAI) ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों पर एक मास्टर परपत्र जारी किया।
 - यह परपत्र 55 पछिले परपत्रों का स्थान लेता है और तत्काल प्रभाव से लागू है।
 - मास्टर परपत्र की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं:

बीमा उत्पादों के प्रकार:

- बीमाकर्त्ताओं को ग्राहकों को व्यापक विकल्प प्रदान करने के लिये उत्पाद पेश करने चाहिये।
- उन्हें नमिनलखिति की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिये:
 - सभी उम्र के लोग।
 - सभी प्रकार की चिकित्सीय स्थितियाँ।
 - पहले से मौजूद और पुरानी स्थितियाँ।
 - चिकित्सीकीय और उपचार की सभी प्रणालियाँ।
 - सभी प्रकार के अस्पताल और स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता।
- इन उत्पादों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017, सरोगेसी (वनियमन) अधिनियम, 2021 और एचआईवी तथा एड्स (रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 2017 सहित प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा।
- दावों का नपिटान:
 - बीमाकर्त्ताओं को एक नशिचति समय-सीमा के भीतर 100% कैशलेस दावों का नपिटान करने का प्रयास करना चाहिये।
 - कैशलेस नपिटान पर नरिणय अनुरोध के एक घंटे के भीतर होना चाहिये।
 - कैशलेस अनुरोधों को सकषम करने के लिये आवश्यक प्रणालियाँ 31 जुलाई, 2024 तक लागू होनी चाहिये।
 - अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीन घंटे के भीतर अंतिम प्राधिकरण प्रदान किया जाना चाहिये।
 - देरी के कारण होने वाले किसी भी अतिरिक्त शुल्क का वहन बीमाकर्त्ता को अपने शेरधारक कोष से करना होगा।
- कस्टमर इनफॉर्मेशन शीट:
 - बीमा कंपनियों को ग्राहकों को CIS प्रदान करना चाहिये, जिसमें पॉलिसी की विशेषताओं को सरल भाषा में समझाया जाना चाहिये।
 - CIS में बीमा का प्रकार, बीमा राशि, बहिषकरण, कटौती योग्य राशि और उप-सीमा जैसे विवरण शामिल होते हैं।
- बोर्ड द्वारा मंजूर नीति: बीमाकर्त्ताओं के पास नमिनलखिति पर बोर्ड-अनुमोदित नीतियाँ होनी चाहिये:
 - अंडरराइटिंग
 - अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं का पैनेल बनाना।
 - उनके पास सुस्पष्ट दावा नपिटान प्रक्रियाएँ होनी चाहिये।

RBI ने परयोजना वतित हेतु प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क पर टपिणियाँ आमंत्रित की

- भारतीय रज़िर्व बैंक (Reserve Bank of India- RBI) ने ड्राफ्ट नरिदेश जारी किये हैं जो वनियमिति संस्थाओं द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर, नॉन-इंफ्रास्ट्रक्चर और वाणजियकि रयिल एस्टेट परयोजनाओं के वतितपोषण के लिये एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं।
- वनियमिति संस्थाओं में बैंक और गैर-बैंकगि वतित्तीय कंपनियाँ शामिल हैं।

मसौदा नरिदेशों की मुख्य विशेषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- परयोजना वतित पोषण की शर्तें:
 - परयोजना वतितपोषण ऋण चुकौती के लिये परयोजना राजस्व पर नरिभर करता है, जिसमें परयोजना स्वयं संपार्श्वकि के रूप में होती है।
 - ऋणदाताओं के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित तनाव समाधान नीति होनी चाहिये।
 - नधिपरयोजना के पूरा होने के अनुपात में वतितरति की जानी चाहिये, जसि किसी स्वतंत्र वास्तुकार या इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये।
- कंसोर्टियम द्वारा वतितपोषित परयोजनाओं में एकसपोज़र की सीमाएँ होंगी।
 - 1,500 करोड़ रुपए तक के कुल जोखमि वाली परयोजनाओं के लिये ऋणदाताओं के पास कम-से-कम 10% जोखमि होना चाहिये।
 - उच्च समग्र जोखमि वाली परयोजनाओं के लिये कम-से-कम 150 करोड़ रुपए या कुल जोखमि का 5% व्यक्तगित जोखमि की आवश्यकता होती है।
- स्ट्रेस रेज़ोल्यूशन:
 - ऋणदाता परयोजना तनाव की नगिरानी करते हैं और ऋण घटनाओं (जैसे- वाणजियकि संचालन तथि का वसितार, अतिरिक्त ऋण की आवश्यकता) की रपिर्ट करते हैं।
 - ऋण घटना के 30 दिनों के भीतर देनदार की समीक्षा की जाती है, जसिसे संभावित समाधान योजनाएँ बनती हैं।
- स्टैंडर्ड एसेट्स के लिये प्रावधान:
 - ऋणदाता नरिमाणधीन परयोजनाओं के लिये बकाया नधियाँ का 5% प्रावधान करते हैं।
 - एक बार चालू होने के बाद यह प्रावधान वशिषिट शर्तों के अधीन 2.5% और फरि 1% तक कम हो सकता है। इनमें सकारात्मक शुद्ध परचालन नकदी प्रवाह एवं परयोजना शुरू होने से ऋण में कमी शामिल है।

मसौदा वस्फोटक वधियक, 2024

वाणज्य और उद्योग मंत्रालय ने सार्वजनिक परतकिरियाओं के लिये वस्फोटक वधियक, 2024 का मसौदा जारी किया। इस वधियक का उद्देश्य वस्फोटक अधिनियम, 1884 को परतस्थापति करना है, जो वर्तमान में वाणज्यिक प्रयोजनों के लिये वस्फोटकों के नरिमाण, कब्जे, उपयोग, बकिरी, परविहन, आयात एवं नरियात को नरिंतरति करता है।

- **लाइसेंस प्रदान करना:** अधिनियम के अनुसार, वस्फोटकों का वनरिमाण, उपयोग, बकिरी, नरियात या आयात करने के इच्छुक व्यक्तियों को लाइसेंस प्राधिकारी के पास लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा।
 - अधिनियम में यह अनविर्य कथिा गया है क वस्फोटकों के वनरिमाण, उपयोग, बकिरी, नरियात या आयात में शामिल कसिी भी व्यक्तिको लाइसेंसिगि प्राधिकरिण के समकष लाइसेंस के लिये आवेदन करना होगा।
 - लाइसेंसिगि प्राधिकरिण, जैसे क वस्फोटकों का मुख्य नरिंतरक, नरिदषिट अवधकिे लिये लाइसेंस प्रदान करता है और वस्फोटकों की सवीकार्य मात्रा नरिदषिट करता है।
- **अपराध के लिये सज़ा:** मसौदा वधियक में वभिनिन अपराधों के लिये जुर्माना बढाया गया है।
 - उदाहरण के लिये वस्फोटकों के अवैध नरिमाण, आयात या नरियात पर अधिकतम जुर्माना पाँच हज़ार रुपए से बढाकर एक लाख रुपए कर दथिा गया है।

जल संसाधन

बाँध सुरक्षा और नगिरानी पर वनियम जारी

- **राष्ट्रीय बाँध सुरक्षा प्राधिकरिण** ने "नरिदषिट बाँधों की नगिरानी, नरिरीक्षण और हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल स्टेशन वनियमन, 2024" जारी कथिा है। ये वनियमन सुरक्षा के लिये बाँधों और जल प्रवाह संकेतकों की नगिरानी पर ध्यान केंद्रति करते हैं।

मुख्य वशिषताओं में नमिनलखति शामिल हैं:

- **बाँधों की नगिरानी:**
 - राज्य बाँध सुरक्षा संगठन (State Dam Safety Organisations- SDSO) अपने अधिकार कषेत्र के अंतरगत आने वाले बाँधों की लगातार नगिरानी करते हैं।
 - बाँध के ढाँचे में दरारें, रसाव या उपकरण से संबंधति कसिी भी समस्या जैसी कसिी भी वसिगतिका नरिरीक्षण करने के लिये नगिरानी की आवश्यकता होती है।
 - वशिषिट नरिरीक्षण उदाहरणों में मानसून से पहले/बाद, बाढ़ के बाद और भूकंप के बाद के मामले शामिल हैं।
- **हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल स्टेशन:**
 - प्रत्येक बाँध के पास एक हाइड्रोमेटोरोलॉजिकल स्टेशन वर्षा, जल स्तर, नरि्वहन, तापमान और हवा को मापता है।
 - दैनिक नगिरानी सुरक्षा सुनशिचति करती है।
 - बाँध मालिकों को बाढ़ के पूर्वानुमान और चेतावनी के लिये एक इंस्ट्रुमेंटेशन नेटवरक भी स्थापति करना चाहथिे।